प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-06 अक्टूबर, 2020

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, इटावा के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3763/नम-4/195, दिनांक-31.01.2018 एवं पत्र संख्या-1618/नम-4/195, दिनांक-16.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माणाधीन जिला कारागार इटावा के निर्माण की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-03/2015/1590/22-4-14-48(28)13टीसी, दिनांक 03.01.2015 द्वारा रू0 18391.88 लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-394/22-4-16-48(28)/13, दिनांक-31.03.2016 द्वारा संशोधित आगणन रू0 25226.00 लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से रू0 23964.70 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल प्रश्नगत निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु रू0 27231.30 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) नियमानसुार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य पुनरीक्षित स्वीकृत लागत से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। प्रायोजना का अब कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(4) प्रायोजना में प्रस्तावित सी0सी0टी0वी0 कैमरा, एक्सेस, कन्ट्रोल, बिल्डिंग मैनेजमेट सिस्टम, सुरक्षा उपकरण, किचेन उपकरण एवं आफिस फर्नीचर की आवश्यकता, औचित्य, स्पेशीफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, कारागार विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर न्यूनतम लागत संस्तुत करेगी।

(5) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय कार्यमदें यथा- सी0सी0टी0वी0 कैमरा, एक्सेस कन्ट्रोल, बिल्डिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम, सुरक्षा उपकरण, किचेन उपकरण एवं आफिस फर्नीचर के क्रय एवं स्थापना हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त कर इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) पुनरीक्षित प्रायोजना में कराये गये कार्यों की लागत को प्रभाग द्वारा प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, जिसका समस्त दायित्व प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा।

(8) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।

(9) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कुर्सी क्षेत्रफल में परिवर्तन एवं अन्य विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्रांइग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अन्तर्गत न तो धनराशि स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3- प्रश्नगत योजनाओं की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-03.01.2015 एवं संशोधित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-31.03.2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई0-12-1824/दस/2020, दिनांक-06 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-29/2020/804(1)/22-4-2020-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, इटावा।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in